

एफ.1/146(29)/2023-भ.IV

संघ लोक सेवा आयोग

भर्ती-IV अनुभाग


पद का नाम	राष्ट्रीय अभिलेखागार, संस्कृति मंत्रालय में अभिलेखविद् (सामान्य) के पद की तेरह (13) (यूआर-08, ईडब्ल्यूएस-01, ओबीसी-03 एवं एससी-01) रिक्तियां
विज्ञापन सं.	23/2022
रिक्ति सं.	22122301410

- इस भर्ती मामले की संवीक्षा तथा लघुसूची तैयार करने संबंधी विवरण पहले दिनांक 16.11.2023 को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे।
- उम्मीदवारों को दिनांक 26.11.2023 तक अपने अभ्यावेदन ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत करने का विकल्प दिया गया था।
- यह भी उल्लेख किया गया था कि सभी ई-मेल की जांच की जाएगी लेकिन उनमें से किसी का भी जवाब नहीं दिया जाएगा जैसा कि पहले बताया गया है। आगे यह आश्वासन दिया गया कि संशोधित जांच और शॉर्टलिस्टिंग विवरण नियत समय में अपलोड किए जाएंगे।
- 17 आवेदकों से अभ्यावेदन एवं अनंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किए गए 09 उम्मीदवारों से मांगे गए दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। उन सभी की जांच की गई है। इनमें से 09 आवेदकों को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। अन्य की अस्वीकृति को बरकरार रखा गया है।
- शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची में बदलाव किया गया है। तदनुसार, आवेदनों की संशोधित जांच इस प्रकार है:-

लघु सूचीबद्ध करने हेतु अपनाए गए मानदंड	अनारक्षित	अ.यो-क + अ.यो-ख(i) अथवा ख(ii)
	ईडब्ल्यूएस	अ.यो-क + अ.यो-ख(i) अथवा ख(ii)
	अ.पि.व	अ.यो-क + अ.यो-ख(i) अथवा ख(ii)
	अ.जा.	अ.यो-क + अ.यो-ख(i) अथवा ख(ii)
	अ.ज.जा.	-
	पीडब्ल्यूबीडी	-
लघु सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों के अनुक्रमांक	अनुक्रमांक	01, 02, 03, 12, 16, 25, 27, 30, 39, 42, 45, 47, 50, 54, 55, 58, 62, 65, 66, 71, 74 एवं 75. (22 उम्मीदवार)

: अस्वीकृत :

उन उम्मीदवारों के अनुक्रमांक जिन्हें लघु-सूचीबद्ध नहीं किया गया है	श्रेणी जिसके अंतर्गत अस्वीकृत किया गया	अनुक्रमांक
	एलईक्यू-क	04, 09, 20, 28, 34, 35, 41, 52, 56, 57, 58 एवं 73. (12 उम्मीदवार)
	एलईक्यू-ख	05, 07, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 31, 32, 38, 43, 49, 51, 53, 59, 63, 76 एवं 79. (22 उम्मीदवार)



अवध
15/04/2024

निर्धारित आयु सीमा से अधिक आयु	06, 44 एवं 46.	(03 उम्मीदवार)
:अपूर्ण:		
अनुभव प्रमाण-पत्र के बिना	33 एवं 61.	(02 उम्मीदवार)
अपूर्ण अनुभव प्रमाण-पत्र तिथि ओआरए के दावे से मेल नहीं खाती	29.	(01 उम्मीदवार)
अपूर्ण अनुभव प्रमाण-पत्र (2 / 3 वर्ष से कम अनुभव)	10, 13, 17, 36, 37 एवं 40.	(06 उम्मीदवार)
ओआरए में किए गए दावे से जन्म तिथि मेल नहीं खाती	21.	(01 उम्मीदवार)
डिग्री प्रमाणपत्र नहीं	48.	(01 उम्मीदवार)
उम्मीदवारी रद्द	08 एवं 26.	(02 उम्मीदवार)
विचाराधीन क्षेत्र में शामिल नहीं	शेष 07 उम्मीदवार कम अनुभव वाले हैं।	

अपनाए गए मानदंड	<p>(i) संवीक्षा, उम्मीदवारों द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी तथा इसके साथ अपलोड किए गए समर्थक दस्तावेजों के अनुसार कंप्यूटर प्रणाली द्वारा जनरेट की गई रिपोर्ट के आधार पर की गई है।</p> <p>(ii) उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित संपूर्ण अनुभव अवधि पर विचार किया गया है।</p> <p>(iii) संवीक्षा हेतु अनुभव की केवल उस अवधि पर विचार किया गया है, जिसका उल्लेख ऑनलाइन भर्ती आवेदन-पत्र (ओआरए) में किया गया है। ओआरए के अनुभव संबंधी कॉलम में अनुभव का उल्लेख किए बिना संलग्न किए गए प्रमाण-पत्रों पर विचार नहीं किया गया है और इसको एलईक्यू-ख (अनिवार्य योग्यता-ख (अनुभव) में कमी श्रेणी) के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है।</p> <p>(iv) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अभिलेखागार और अभिलेख प्रबंधन में डिप्लोमा और किसी अभिलेखागार कार्यालय में पर्यवेक्षी क्षमता में अथवा किसी मान्यताप्राप्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर आधुनिक भारतीय इतिहास में अनुसंधान या अध्यापन में दो वर्ष का अनुभव।</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>(ii) किसी अभिलेखागार कार्यालय में पर्यवेक्षी क्षमता में अथवा किसी मान्यताप्राप्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर आधुनिक भारतीय इतिहास में अनुसंधान या अध्यापन में तीन वर्ष के अनुभव को संगत माना गया है।</p>
------------------------	---

अक्षय
15/04/2024

(v) संगत क्षेत्र में पीएच.डी डिग्री वाले उम्मीदवारों को अनुसंधान अनुभव के लिए तीन वर्ष का क्रेडिट दिया जाएगा। परित्यक्त डॉक्टोरल कार्य को महत्व नहीं दिया जाएगा। तथापि, जारी अनुसंधान के संबंध में अनुभव, जिसमें अभी तक पीएच.डी डिग्री प्राप्त नहीं हुई है, की गणना तभी की जाएगी यदि अनुसंधान का वह क्षेत्र, पद के लिए संगत है। परन्तु, वास्तविक संगत अनुसंधान का अनुभव तीन वर्ष से अधिक होने पर भी केवल तीन वर्ष के अनुभव पर ही विचार किया जाएगा।

(vi) इस भर्ती मामले में वांछनीय योग्यता को लागू नहीं किया गया है।

(vii) भर्ती (समन्वय एवं नीति) के परिपत्र सं. एफ.8/84/2010-भर्ती (समन्वय एवं नीति) दिनांक 23.12.2010 के अनुसार, अनुभव प्रमाण-पत्र विहित प्रोफार्मा में होने चाहिए। तथापि, आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में अनुभव प्रमाण-पत्र जमा नहीं किए जाने पर भी ऐसे प्रमाण-पत्रों पर मेरिट के आधार पर विचार किया गया है। परन्तु जिन उम्मीदवारों ने किसी अनुबंध का उल्लेख किया हो और उसको प्रस्तुत नहीं किया हो, उनके आवेदनों को 'अपूर्ण' मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया है।

(viii) नियुक्ति पत्र, कार्यालय आदेश, त्याग-पत्र, वेतन प्रमाण-पत्र, सेवा प्रमाण-पत्र तथा स्वयं उम्मीदवारों द्वारा सत्यापित प्रमाण-पत्रों अथवा स्व-रोजगार प्रमाण-पत्रों को अनुभव प्रमाण-पत्र के तौर पर विचार नहीं किया गया है। ऐसे उम्मीदवारों को भी संगत अनुभव में कमी की श्रेणी में विचार किया गया है परन्तु उनके आवेदन को 'अपूर्ण' श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है।

(ix) जिन अनुभव प्रमाण-पत्रों में कार्यों के स्वरूप का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, उन पर विचार किए बिना अस्वीकार कर दिया गया है। इसी प्रकार, जिन आवेदकों ने संगत अनुभव का दावा किया है, परन्तु इस दावे के समर्थन में जमा किया गया अनुभव प्रमाण-पत्र संपूर्ण अवधि का नहीं है अथवा उनके दावे का समर्थन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया है। संगत अनुभव की केवल उस अवधि पर विचार किया गया है, जिसके लिए अपेक्षित/संगत अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है।


(x) कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के तहत अस्वीकार किया गया है।

नोट:- आयोग द्वारा मानदंडों का निर्धारण, प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाता है।

संकेतक:

एलईक्यू-क- अनिवार्य योग्यता-शैक्षणिक-क में कमी

एलईक्यू-ख- अनिवार्य योग्यता-अनुभव-ख में कमी


15/04/2024

(ए.एन. मिश्रा)

उप सचिव (भ. IV)

दूरभाष: 011-23383766

उपरोक्त विवरण के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच अंतर के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।